

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना

/पटना, दिनांक

विषय- विभागान्तर्गत नवस्थापित 5 (पांच) राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में वर्ष 2019-20 से सत्रारंभ करने हेतु संस्थान के कम्प्यूटर प्रयोगशाला एवं कार्यालय में आवश्यक कम्प्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, जीरोक्स मशीन के क्रय एवं अधिष्ठापन के लिए कुल रू. 1,57,70,000=00 (एक करोड़ संतावन लाख सत्तर हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (बेल्ड्रोन), पटना को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेश- स्वीकृत।

राज्य सरकार ने बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (बेल्ड्रोन), पटना के पत्रांक-4567/19, दिनांक 19.07.2019 द्वारा समर्पित प्राक्कलन के आलोक में विभागान्तर्गत नवस्थापित 5 (पांच) राजकीय पोलिटेकनिक यथा औरंगाबाद/जहानाबाद/अरवल/भोजपुर/खगड़िया में वर्ष 2019-20 से सत्रारंभ करने हेतु संस्थान के कम्प्यूटर प्रयोगशाला एवं कार्यालय हेतु आवश्यक कम्प्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, जीरोक्स मशीन के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु कुल रू. 1,57,70,000=00 (एक करोड़ संतावन लाख सत्तर हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (बेल्ड्रोन), पटना को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

2. उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य स्कीम बजट के "मुख्यशीर्ष-4202 -शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष -02-तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष-104 -बहुशिल्प, मांग संख्या-43, उपशीर्ष-0109-पोलिटेकनिक महाविद्यालय (निश्चय)" के अधीन 52 01 मशीनें एवं उपस्कर-कार्यालय विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा जिसका विपत्र कोड 43-4202021040109 है।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप निदेशक (त.), (निदेशालय), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि की अग्रिम निकासी सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना से की जायेगी तथा उसे CFMS प्रणाली से बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (बेल्ड्रोन), पटना को उपलब्ध कराया जायेगा। अग्रिम निकासी के प्रस्ताव में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

5. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2019-20 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

6. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या- 3758 वि, दिनांक 31.05.2017 के आलोक में सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।

7. वित्त विभाग के पत्रांक- 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. विमुक्त राशि का व्यय अधिकतम छः (6) माह में कर अभिश्रव सहित BTC-Form-27(C), एवं 2(C) (1) में अपेक्षित सूचना एवं अभिलेख विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित की जायेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह. / -

(मिर्जा आरिफ रजा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि.प्रा. (IV) योजना- 8/ 2019-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि.प्रा. (IV) योजना- 8/ 2019-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन (विश्वेश्वरैया भवन), बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि.प्रा. (IV) योजना- 8/ 2019-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (बेल्ट्रोन), पटना, बेल्ट्रोन भवन, शास्त्रीनगर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि.प्रा. (IV) योजना- 8/ 2019-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, औरंगाबाद/खगड़िया/अरवल/जहानाबाद/भोजपुर/छपरा/कटिहार/अस्थावां/पटना-7/पटना-13 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि.प्रा. (IV) योजना- 8/ 2019-

2735/पटना, दिनांक-

6.8.2019

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/निदेशक/संयुक्त निदेशक (वि.)/उप निदेशक (यो)/उप निदेशक (त.)/विपत्र शाखा (दो प्रतियों में)/बजट सहायक/ आई.टी. मैनेजर (E-mail एवं विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5.8.19

सरकार के उप सचिव